... अहकाम

राकेश बनाम फूलजोड़

JHA न्यायालय ACM (LR) Shahpura-Jaipur

संख्या 82/2024

दावा - 53/88 RTA

विशेष टिप्पणिया	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/11/24 लगातार	आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	25/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री हेतु निवेदन किया है। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला पृथक से। लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 82/2024, सीसीएमएस संख्या 125/2024

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र मदनलाल
2. राजेश पुत्र मदनलाल
3. कौशली देवी पत्नी मदनलाल
4. बालूराम पुत्र पन्नाराम

समस्त जाति अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर

– वादी

बनाम

1. कजोड़ पुत्र दीपाराम
2. जगदीश पुत्र दीपाराम

   समस्त जाति अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज०।

3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०।
4. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 25/11/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 858 के खसरा नम्बर 3938/2336/0.36, 3939/2336/1.4942 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 1.8542 हैक्टेयर वाकै ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) में स्थित है। जिसमें पक्षकारान् का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज ए हाल है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र पेश है। यह कि वादीगण खसरा नम्बर 3938/2336 में सम्पूर्ण रकबा पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 3939/2336 के उत्तरी भाग पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर पुख्ता तामीरात कर रखे है। तथा अन्य सभी खातेदार भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा पुख्ता तामीरात कर काबिज एवं काश्त रहकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। वाद पत्र की खण्ड संख्या

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नही हुआ है। वादीगण प्रतिवादीगण ने मौके पर आपस की सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है और वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बिना किसी बाधा के उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है। जिसके चलते वादीगण के कब्जा काश्त मे मजाहमत पैदा करते है। जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। यह कि दिनांक 09/06/2024 को वादीगण प्रतिवादीगण के पास गये तथा सहमति से बंटवारा करवाकर नम्बर अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण एकदम से आवेश में आ गये तथा वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आस–पास के लोग एकत्रित हो गये जिन्होने काफी समझाईश की लेकिन कानूनी बंटवारा हेतु साफ तोर से इंकार हो गये। तथा एलानियां धमकी दी की हम उक्त आराजी का किसी भी किमत पर कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में भी मजाहमत पैदा करेगें इस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। यह कि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादीगण को काश्त व उपयोग उपभोग नहीं करने दिया या मजाहमत पैदा कर दिया या वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को ना–काबिल–ऐ तलाफि होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा वादीगण को अपनी खातेदारी अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा तथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि से संम्भव नही हो सकेगी एवं पक्षकारान् में परस्पर मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 858 के खसरा नम्बर 3938/2336/0.36. 3939/2336/1.4942 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 1.8542 हैक्टेयर वाकै ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार व बाहमी बंटवारा के अनुसार आराजी मुतनाजा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमों के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये मौके पर कब्जे काश्त एवं सरस–नरस (बाई मिट्स एवं बाऊण्ड्स) के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावें तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तथा पृथक–पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में से वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, स्थानापन्न अथवा उत्तराधिकारियों से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त एवं उपयोग–उपभाग करने देवें।

सहायक कलक्टर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 04.09.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने वकालतनामा पेश किया एवं दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी। वकील वादी ने भी दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण को दिनांक 04.09.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/4506 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी व प्रतिवादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील उभयपक्ष ने कोई आपति जाहिर नही कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खाता संख्या 858 के खसरा नम्बर 3938/2336/0.36 एवं 3939/2336/1.4942 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 1.8542 हैक्टेयर वाकै ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :-

1. राकेश कुमार, राजेश कुमार पि0 मदनलाल, कोयली देवी पत्नि स्व0 मदनलाल हि0 9/13, बालूराम पुत्र पन्नाराम हि0 4/13 समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 3938/2336 रकबा 0.36 है0 एवं 3939/2336/1 रकबा 0.4525 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8125 है0 भूमि रहेगी।
2. कजोड पुत्र दीपाराम हि0 1250/10417, जगदीश पुत्र दीपाराम हि0 9167/10417 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मनोहरपुर जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 3939/2336/2 रकबा 1.0417 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0417 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

सहायक कलक्टर

जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/11/24 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 82/2024, जीसीएमएस संख्या 125/2024

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र मदनलाल
2. राजेश पुत्र मदनलाल
3. कोयली देवी पत्नी मदनलाल
4. बालूराम पुत्र पन्नाराम

समस्त जाति अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर

– वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र दीपाराम
2. जगदीश पुत्र दीपाराम

समस्त जाति अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 25/11/24

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खाता संख्या 858 के खसरा नम्बर 3938/2336/0.36 एवं 3939/2336/1.4942 हैक्टेयर कुल किता–2 रकबा 1.8542 हैक्टेयर वाकै ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. राकेश कुमार, राजेश कुमार पि0 मदनलाल, कोयली देवी पत्नि स्व0 मदनलाल हि0 9/13, बालूराम पुत्र पन्नाराम हि0 4/13 समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 3938/2336 रकबा 0.36

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

है0 एवं 3939 / 2336 / 1 रकबा 0.4525 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8125 है0 भूमि रहेगी।

2. कजोड पुत्र दीपाराम हि0 1250 / 10417, जगदीश पुत्र दीपाराम हि0 9167 / 10417 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मनोहरपुर जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 3939 / 2336 / 2 रकबा 1.0417 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0417 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 25/11/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.